

**राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-5**

क्रमांक : ए.1(4)94/89/पार्ट V  
दिनांक : 25 फरवरी, 2022

**कार्यालय आदेश**

निगम के आदेश क्रमांक ए.1(4)94/89/पार्ट-IV दिनांक 16.02.2022 की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक ए.1(4)94/89/पार्ट-V/2092 दिनांक 22.02.2022 द्वारा दिनांक 01.04.2010 के पश्चात् निगम सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों से विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु परिपत्र जारी किया जा चुका है।

उपरोक्त के संबंध में दिनांक 01.04.2010 के पूर्व एवं पश्चात् निगम सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों को आरजीएचएस की सुविधा प्राप्त करने हेतु राशि के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

- वर्तमान में सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए प्रीमियम की एकमुश्त राशि रुपये 61000/- निर्धारित है।
- निगम सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक जो रीको रिटायर्ड मेडिकल रिलिफ फण्ड के सदस्य नहीं है, को रु. 30,500/- की राशि जमा करवाने के पश्चात् कार्यालय आदेश दिनांक 16.02.2022 के अनुसार योजना का लाभ मिलेगा।
- रीको रिटायर्ड मेडिकल रिलिफ फण्ड में सदस्यता प्राप्त कार्मिक जिनका संलग्न सूची अनुसार अंशदान रु. 21,500/- जमा है, को रु. 9,500/- की राशि जमा करवाने के पश्चात् कार्यालय आदेश दिनांक 16.02.2022 अनुसार योजना का लाभ मिलेगा।
- सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा बैंक/ऑनलाईन जमा करवाने हेतु खाते का विवरण संलग्न है।

*Ban*  
(बिन्दु करुणाकर)  
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

**प्रतिलिपि:**

- समस्त नियंत्रक अधिकारी
- समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
- समस्त इकाई प्रभारी
- उप महाप्रबन्धक (आईटी) - उक्त आदेश को रीको वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
- न्यास सचिव, सीपीएफ ट्रस्ट
- प्रबंधक, बिल्स
- कार्यालय आदेश पत्रावली
- नोटिस बोर्ड

को भेजकर लेख है कि आपके प्रकोष्ठ/इकाई से सेवानिवृत्त कार्मिकों को उक्त आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**प्रतिलिपि को भी :**

- वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
- वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय
- निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक महोदय



